

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 828/2012/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, दौसा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स AAA इंटीरियर्स, बी-51, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 10/08/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 381(ए)/आरवीएटी/ए/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.08.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेद अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर विभाग की टीम द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 20.01.2010 को किया गया। उक्त सर्वेक्षण में मौके पर कोई माल नहीं पाया गया, जबकि कम्प्यूटर से ट्रेडिंग अकाउण्ट लिया जाने पर क्लॉजिंग स्टॉक रूपये 3,86,470/- एवं ऑपनिंग स्टॉक भी रूपये 3,86,470/- दर्शाया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी के ट्रेडिंग अकाउण्ट एवं भौतिक सत्यापन में अन्तर आने के आधार पर करापवंचन की मंशा मानते हुए उक्त राशि पर 15 प्रतिशत की दर से कर रूपये 54,106/- एवं धारा 61(1) के तहत शास्ति रूपये 1,08,212/- कुल रूपये 1,62,318/- का आरोपण आदेश दिनांक 05.05.2010 से किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2011 से स्वीकार किये जाने के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के ट्रेडिंग अकाउण्ट के अनुसार रूपये 3,86,470/- का माल मौजूद होना पाया गया, किन्तु भौतिक सत्यापन में मौके पर कोई माल नहीं पाये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कर व शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने

लगातार.....2

Amirul
10/08/17

प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।


4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कम्प्यूटर की त्रुटि से क्लोजिंग/ऑपनिंग स्टॉक रूपये 3,86,470/- दर्शाया गया था, जबकि उनका भौतिक रूप से कोई स्टॉक नहीं था। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण दिनांक 20.01.2010 को किया गया था, जबकि ट्रेडिंग अकाउण्ट दिनांक 01.04.2009 से 05.03.2010 तक का दर्शाया गया था, जो कि वास्तविक रूप से सम्भव नहीं था। दिनांक 05.03.2010 का स्टॉक दिनांक 20.01.2010 को दिखाया जाना केवलमात्र कम्प्यूटर की त्रुटि है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं सर्वेक्षण दिनांक 20.01.2010 को लिये गये ट्रेडिंग अकाउण्ट की प्रति का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि कम्प्यूटर द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से दिनांक 20.01.2010 को दिनांक 05.03.2010 का स्टॉक दर्शाया गया है, जो कि व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई विस्तृत जांच किया जाना पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि व्यवहारी द्वारा करापंचन की मंशा से माल को विक्रय किया गया है। केवल उक्त ट्रेडिंग अकाउण्ट के आधार पर करापंचन किया जाना अवधारित करते हुए कर व शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। उक्त ट्रेडिंग अकाउण्ट प्रथम दृष्टया कम्प्यूटर त्रुटि को प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 05.08.2011 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


10/08/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य